रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 384] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 1984/आश्विन 6, 1906
No. 384] NEW DELHI, FRIDAY, SEPT. 28, 1984/ASVINA 6, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1984

सं० 203/84—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 691(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 49/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982, को अधिक्रमित करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के माल को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क के अन्तर्गत आते हैं, उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	पुनः तैयार किए गए सैलुलोस की सैलोफेन फिल्म जिसकी मोटाई 0.25 मिलीमीटर से अधिक नहीं हो।	मूल्य का 10 प्रतिशत
2.	पुनः तैयार किए गए सैलुलोस की सैलोफेन शीट	मूल्य का 20 प्रतिशत

[फा० सं० 93/24/83-के०उ०शु०-3]
सी० माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 1984

No. 203/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 691(E):—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 49/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed, and falling under Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	Cellophane film of regenerated cellulose of thickness not exceeding 0.25 mm.	10% ad valorem
2.	Cellophane sheet of regenerated cellulose	20% ad valorem

[F.No. 93/24/83, C-Ex-3]
C. MATHUR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984